कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर

चंद्रा गार्डन के पास आगरा रोड जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.( )/लेखा/2020–21/ 18107 दिनांकः 19-03-2021

खुली निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा माडा एवं बिखरी योजनान्तर्गत उपकरण क्रय हेतु विनिर्माताओं/डीलरों/वितरकों/थोक विक्रेताओं से दिनांक 26.03.2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में सीलबंद खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.03.21 को दोपहर बाद 5.00 बजे तक कार्यालय से नकद राशि जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 26.03.21 को दोपहर बाद 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

क्र. सं.	नाम सामग्री	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय का समय	निविदा प्रस्तुत करने का समय
1	कायोकेन जार	4.95 लाख	200/–	9900/–	दिनॉक 25.03.21 सांय 5.00 बजे तक	दिनॉक 26.03.21 दोपहर 2.00 बजे तक

शेष शर्ते किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट WWW.ANIMALHUSBANDRY.RAJASTHAN.GOV.IN एवं WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN पर भी देखी जा सकती है ।

(डॉ. प्रवीण कुमार सैन)
संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, जिला–जयपुर

कमांक एफ.वी.( )/लेखा/2020–21/ 18008-12 दिनांकः 19.03.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त निविदा को विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित कराने की कृपा करें।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज0 जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम् स्पेस में एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करवाकर अनुमोदित दरों पर बिल भुगतान हेतु भिजवाने का श्रम करें। निविदा सूचना की 10 प्रतियां सलग्न है।
3. नोटिस बोर्ड, निदेशालय पशुपालन विभाग/अतिरिक्त निदेशक "क्षेत्र" पशुपालन विभाग जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
5. नोटिस बोर्ड, संयुक्त निदेशक, राज्य रोग निदान केन्द्र/उपनिदेशक, पॉलिक्लिनिक, जयपुर।

(डॉ. प्रवीण कुमार सैन)
संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, जिला–जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,जयपुर

निविदा प्रारूप

(देखिये नियम 68)

निविदा प्रपत्र शुल्क– 200/–
निविदा विक्रय अवधि–दिनांक 25.03.21 सांय 5.00 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने का समय– 26.03.21 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक
निविदा खोलने का समय– 26.03.21 को दोपहर बाद 3.00 बजे

I. उपकरण के लिये निविदा।

II. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता मय मोबाईल नम्बर..

III. किसको संबोधित की गयी : संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर

IV. संदर्भ : कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर की निविदा सूचना क्रमांक............ दिनांक

V. निविदा शुल्क राशि रूपये 200/– नकद रसीद संख्या...............................एवं दिनांक...................द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संख्या...................के द्वारा जमा करा दी गई है।

VI. हम संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक .... दिनाक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

VII. निम्नलिखित मदों के प्रदाय के लिये दरें निम्न प्रकार होंगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनके प्रत्येक के सामने अंकित की गई है, जिसके नमूनें सलग्न है। (बिना नमूनें कोई निविदा स्वीकार नही की जावेंगी।

क0 स0	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों के	दर प्रति युनिट कर रहित अकों में	दर प्रति युनिट कर रहित, शब्दों में	वि0 वि0
1	IX 2 LIQUID NITROGEN CONTAINER HEIGHT 393 MM, OVERALL DIAMETER 192 MM, EMPTY WEIGHT 2.3 KG, CANISTER- 06, CANISTER OD 38 MM, CANISTER HEIGHT 120 MM, 2 NOS RUBBER SIDE RING AND 1 NO RUBBER BOTTOM PAD			
2	TA 50 LIQUID NITROGEN CONTAINER HEIGH 740 MM,OVER ALL DIAMETER 433 MM, EMPTY WEIGHT 14.8 KG, 2 NOS RUBBER SIDE RING AND 1 NO RUBBER BOTTOM PAD			

VIII. फर्म द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से 21 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपर्दगी कर दी जाएगी। माल की सुपुर्दगी निम्न प्रकार से होगी :–

मात्रा अवधि/दिनांक, यदि कोई हो.........

IX. बयाना राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या..................जो ....(बैंक का नाम) पर आहरित किया गया हे , संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग,

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें
(देखिये नियम 68)

टिप्पणी : निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिये।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिफाफे में उचित रूप से मुहरबंद कर प्रस्तुत करनी होगी जिसमें लिफाफे पर उपकरण के लिए निविदा अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदायें दिनांक 26.03.21 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।
2. "वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदायें" :– निविदायें मालों के वास्तविक निर्माताओं/डीलरो/थोक विक्रेताओं/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा ही दी जायेगी।
3. निविदाकर्ता को निविदा में निम्न दस्तावेज शामिल कर प्रस्तुत करने होंगे :–
   I. अर्नेस्ट मनी डिपोजिट राशि रूप्ये नो हजार नौ सौ रूपये मात्र का डी.डी./बैंकर चैक ।
   II. निविदत्त सामग्री के उत्पादक/डीलर/सबडीलर/थोक विक्रेता/डिस्ट्रीब्यूटर होने के संबंध में अधिकृत वैध लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति।
   III. निविदादाता द्वारा **एनेक्स्चर–ए में दिये गये प्रारूप में घोषणा–पत्र हस्ताक्षर** कर प्रस्तुत करना होगा।
   IV. **मूल निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।**

   नोट : उपरोक्त प्रमाण–पत्र निविदा के लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों में निविदत्त आईटम की दरों का उल्लेख किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार के डिस्काउंट या विशेष ऑफर को शामिल नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उस निविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दर शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
6. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिये तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिये । स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिये तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
7. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
8. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
9. विनिर्देश :– (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुऐं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसर अपेक्षा की गई हो, वहॉं उन मदों को पूर्ण रूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये तथा उन पर वह मार्क होना चाहिये।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, जिला

10. रद्द करना :– (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुयें अनुमोदित नहीं की जायेगी उन्हे रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे केता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य नहीं समझा जाये, तो केता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे,अनुमोदित दरों मे से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

11. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हे रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

12. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमे कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले मे, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नही होगी।

13. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नही किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

14. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

15. (i) सुपुर्दगी अवधि :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, इस कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 21 दिवस की अवधि के भीतर सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

(ii) यदि केता अधिकारी किन्ही निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा मे माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

16. समस्तमाल सडक, रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाडा चचुका कर भेजा जायेगा । यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो , तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी ।

17. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :– (क) उपकरणों हेतु निविदा के साथ रूपये 9900/– की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। यह राशि संयुक्तनिदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिये :–

(i) नकद–शीर्ष **"8443–सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप (ख) अदेय ब्याज निक्षेप"** के अंतर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिये।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जायेगी।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, जिला जयपुर

(ग) बयाना राशि में आंशिक छूट :– उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

18. भुगतान :–(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(iii) उन मामलों के संबधं में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

19. (i) निविदा में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलें, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(1)(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2½%
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5%
(ग)	आधी अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7½%
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किंतु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरंत उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

20. वसूलियां :–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय टूट–फूट, रदद की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, जिला ...

21. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रदद कर दिया जायेगा।

22. किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरीत करने का अधिकार केता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

23. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।

24 परीक्षण प्रभारः– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नही है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेगें ।

25. निविदादाताओं से आग्रह है कि वे निविदत्त सामग्री का प्रिंटेड विस्तृत लिटरेचर/केटलॉग(यदि कोई हो) भी संलग्न करें।

26. मैं/हम उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तों से सहमति प्रदान करते हैं।

27. शेष शर्ते सा.वि. एवं लेखा नियमों एवं अन्य समय–2 पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप रहेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग,

एनेक्स्चर–ए

घोषणा–पत्र

मैं/हम..हमारा कार्यालय..................................पर स्थित है, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस सामग्री/औषधि/उपकरण के लिये निविदा प्रस्तुत की है। उसके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/विपणन एजेन्ट/थोक विक्रेता हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम निविदा की समस्त शर्तों पर सामग्री आपूर्ति के लिये सहमत हैं। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई दरें नियत अवधि तक मान्य रहेगी।

मैं/हम इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर हरा हूँ/रहे हैं :–

क्र. सं.	आईटम	विवरण		
		पेज नंबर	हॉ	नहीं
1.	अनेस्ट मनी डिपोजिट			
2.	निविदत्त सामग्री के उत्पादन/विकय के लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ विपणन एजेन्ट/थोक विक्रेता के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज			
3.	हस्ताक्षरित मूल निविदा प्रपत्र			
4.	पैन कार्ड			
5.	स्व प्रमाणित एनेक्स्चर–ए में घोषणा–पत्र			
6.	जी.एस.टी संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र			
7.	वार्षिक टर्न ऑवर का विवरण पत्र गत दो वर्ष का			
8.	कम्पनी/फर्म के अधिकृत अधिकारी का नाम व नमूना हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर	1 2		

हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पूर्ण पता

नोट : कृपया सभी पृष्ठों पर पेज नम्बर अंकित करें एवं उसका उल्लेख उपरोक्त टेबिल में करें।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, जिला